न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 201/2018 अपील

1. भंवर सिंह चूण्डावत पुत्र श्री रामसिंह निवासी नेगड़िया का खेडा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) **—अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा **—रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट,1959 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी–3066 दिनांक 19.12.2012

उपस्थित –

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।

जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक :05.10 .2021

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सम्मन जारी कर तलब किया गया।

पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अपीलान्ट भंवरसिंह चूण्डावत स्वयं उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी उक्त अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की डबल बैरल 12 बोर गन के लाईसेन्स के नवीनीकरण की अपीलार्थी को अब कोई आवश्यकता नहीं होने से जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के पूर्व आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/आदेश/2012/डी–3066 दिनांक 19.12.2012 जिससे प्रार्थी की डबल बैरल 12 बोर गन जो कि जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर (पंजाब) से जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 35/PS Kh. Karan/Oct/DM/ASR/93 (बीएचएल/4/2001) को निरस्त किया गया है तथा इसमें दर्ज हथियार 12 बोर डबल बेरल गन संख्या 9564–ए/7 मय जीवित 13 कारतूसों को पुलिस थाना गंगापुर में जमा कराने के आदेश हुए है, उक्त आदेश की पालना करावें।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने एवं अपीलार्थी स्वयं द्वारा भी शस्त्र जमा कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा शस्त्र जमा कराने के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। अतएवं–

आदेश

अपीलार्थी के शस्त्र जमा कराने के उक्त निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थी श्री भंवर सिंह चूण्डावत पुत्र श्री रामसिंह निवासी नेगड़िया का खेडा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी अपनी 12 बोर डबल बेरल गन संख्या 9564–ए/7 मय जीवित कारतूसों को पुलिस थाना, गंगापुर में जमा करावें तथा थानाधिकारी गंगापुर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री भंवर सिंह चूण्डावत द्वारा जमा करवाये जाने वाले हथियार मय कारतूसों को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 05-10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा